पत्रिका

हाईकोर्ट : सड़कों की बदहाली, मवेशी और वाहनों के जमावड़े पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

सड़क से मवेशी व वाहन हटाने मालिकों पर क्या कार्रवाई की, शासन को रिपोर्ट देने के निर्देश

शासन और प्रशासन द्वारा सड़कों पर मवेशियों का जमावड़ा न हटा पाने को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने निगम और प्रशासन को यह बताने कहा कि कितने मवेशी मालिकों पर मामले दर्ज हुए, मवेशी हटाने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है?

जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए डिवीजन बेंच ने पेंड्रीडीह बाइपास में मोड़ पर बनी दुकानों पर वाहनों की भीड़ पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इससे यहां पर लगातार दुर्घटनाओं की आशंका बनी हुई है। वहां वाहनों का जमावड़ा न हो यह सुनिश्चित करने और कार्रवाई के निर्देश देते हुए कोर्ट ने सितंबर के तीसरे सप्ताह में अगली सुनवाई रखी है।

मवेशी कुचले जाने पर भी कोर्ट ने लिया है संज्ञान

रतनपुर रोड पर ग्राम बारीडीह में हाइवा से कुचलकर मारे गए 14 मवेशियों के मामले पर भी हाईकोर्ट ने 16 जुलाई को संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने महाधिवक्ता से पूछा कि इन घटनाओं पर लगाम कैसे लगेगी? इस पर शासन की ओर से जवाब के लिए समय लिया गया था। कोर्ट ने कहा कि, सभी जगह मुख्य सडकों और हाइवे पर बहुत खतरनाक स्थिति है। अफसोस की बात है कि इस तरह के हादसे निरंतर हो रहे हैं, शासन इन पर रोक लगाने के क्या उपाय कर रहा है? कोर्ट ने महाधिवक्ता पीएन भारत से पूछा कि पूर्व में न्यायालय के आदेश पर कितना अमल किया गया है? गायों के मालिकों के खिलाफ एफआईआर हुई है या नहीं?

मवेशी-वाहनों के जमावड़े के कारण लगातार हादसे

नेशनल हाइवे और अन्य सड़कों पर मवेशी और वाहनों के जमावड़े के कारण लगातार दुर्घटनाएं हो रहीं हैं। इससे मवेशियों और लोगों की जान जा रही है। इस मामले में हाईकोर्ट में जनहित और स्वत: संज्ञान याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। ढाबों के आसपास वाहन खड़े करने के कारण दुर्घटनाओं की संख्या बड़ी है। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने हालत में सुधार न होने पर नाराजगी जताते हुए सवाल किया था कि शासन और विभाग क्या कर रहे हैं? कोर्ट ने पेंड्रीडीह बाइपास पर सड़क किनारे के ढाबे और दुकान हटाने के निर्देश दिए थे।

01/08/2025 | Bilaspur | Page : 11
Source : https://epaper.patrika.com/